न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :–203/2020/कैम्प टोंक

1. बद्रीलाल पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी ग्राम करीरिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2. श्योजी पुत्र सुखेदव जाति जाट निवासी करीरिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0।

–अपीलांट्स

बनाम

1. रामसहाय पुत्र रामरख जाट निवासी करीरिया तहसील निवाई जिला टोंक
2. शिवजीराम पुत्र रामरख जाट निवासी करीरिया तह0 निवाई जिला टोंक
3. लाडबाई पुत्री रामरख पत्नि रामकिशोर जाट निवासी हाल पराना तहसील व जिला टोंक राज0
4. चितरंजन पुत्र भंवरलाल जाट निवासी करीरिया तहसील निवाई जिला टोंक
5. सुनिता पुत्री भंवरलाल जाट निवासी करीरिया तहसील निवाई जिला टोंक
6. काली बेवा भंवरलाल जाट निवासी करीरिया तहसील निवाई जिला टोंक
7. तहसीलदार निवाई।
8. भू आवंटन सलाहकार समिति तहसील निवाई जिला टोंक

–रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर टोंक दिनांक 08.09.1997 मिसल प्रकरण संख्या 38/93 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार निवाई बनाम रामरख।

<u>उपस्थित अभि0:–</u>

1. अपीलांट अभि0– श्री शिवजीराम
2. रेस्पोडेंट अभि0– अनुपस्थित

<u>निर्णय</u> **दिनांकः–17.02.2023**

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.08.1959 को रामरत्न पुत्र लाला जाट को ग्राम करीरियां तहसील निवाई में खसरा नम्बर 900/1095/2 रकबा 1 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि आवंटन के विरूद्ध तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत नियम 14(4) में आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मुख्य रूप से यह कहा गया है कि आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग की है। मौके पर आवंटी का कब्जाकाश्त नहीं है तथा रास्ता, बाड़े व अन्य व्यक्तियों के मकान, बाड़े बने हुए है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को 38/93 नम्बर दर्ज किया जाकर जिला कलक्टर टोंक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.09.1997 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। इसमें मुख्य कारण आवंटी का खातेदार होना बताया गया है। जिला कलक्टर टोंक के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा दिनांक 06.01.2017 को तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसे दिनांक 25.01.2017 को 2/2017 [illegible] रजिस्टर किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र को दिनांक 18.06.2019 को पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया। दिनांक 27.01.2020 को राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधीसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में आरएए न्यायालय टोंक द्वारा क्षेत्राधिकार होने से पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:55 IST
Reason: SelfAttested

सुनवाई हेतु प्रेषित की गई। जिसे दिनांक 18.03.2020 को 203/2020 नम्बर पर दर्ज किया गया। अपीलांट द्वारा अपील के निम्न आधार बताये गये है–

1. आवंटित खसरा नम्बर सार्वजनिक उपयोग में आने वाला खसरा नम्बर है। कुऐं के लिए जाने का रास्ता एवं आबादी का रास्ता इसमें से होकर गुजरता है। फिर भी आवंटन अधीनस्थ न्यायाय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

2. धार्मिक महत्व के चबूतरे औैर स्थान बने हुए है। अतः अपील स्वीकार की जायें। आवंटन निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र, धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार विवादित भूमि पर बाड़े एवं देवस्थान बने हुए है। अपीलाधीन निर्णय से वे व्यथित है। अतः अपील प्रस्तुत करने की आज्ञा दी जायें। आरएए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा तत्समय दिनांक 18.06.2019 को बाद सुनवाई अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया था।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने के पश्चात नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 16.09.16 को प्रस्तुत किया। जिसकी नकल दिनांक 06.01.2017 को प्राप्त हुई। जिसके पश्चात आवंटन आदेश हेतु तहसीलदार निवाई के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जिन्होने नकल देना नामुनकीन बताया। जिसकी सत्यप्रतिलिपी प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि आवंटन आदेश सन् 1959 का है एवं आवंटन पत्रावली भी प्राप्त नहीं हुई है। जानकारी दिनांक के बाद अपीलांट द्वारा दिनांक 06.01.2017 को तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील अपील को अंदर मियाद होने से शुमार किया जाता है।

अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार आवंटित भूमि से अपीलाधीन निर्णय की आड़ में वहां काबिज लोगों को रेस्पोडेंट बेदखलन करने पर उतारू है। अतः राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बाबत आदेश दिया जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि रेस्पोडेंट रामरख को आवंटन हुई थी। उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। बहस सुनी गई।

बहस में वकील अपीलांट उपस्थित है। वकील रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहें है। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि तहसीलदार निवाई द्वारा नियम 14(4) में कलक्टर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। विवादित भूमि का खसरा नम्बर 900/1095/2 रकबा 1 बीघा है। उक्त खसरा नम्बर में सार्वजनिक रास्ता एवं कुऐं पर जाने का रास्ता है। बालाजी का स्थान एवं शंकर भगवान का स्थान है। उक्त वस्तु[illegible] रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा दी गई थी। आवंटन पत्रावली नहीं है सिर्फ नाम[illegible] है। [illegible] कर्ता है। आवंटी द्वारा काश्त नहीं की जा रही है। आवंटन सन् 1959 का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:55 IST
Reason: SelfAttested

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली [illegible] उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। ग्रामवासीयों की ओर से तहसीलदार निवाई को प्रस्तुत शिकायती

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार आवंटन दिनांक से लेकर आज तक आवंटी का कोई कब्जाकाश्त नहीं है तथा मौके पर कोई कब्जा नही है एवं अन्य व्यक्तियों के कई मकान ,बाड़े बने हुए है और कुऐ का रास्ता है। यदि आवंटन निरस्त नहीं किया जाता है तो हमारे कुऐ और बाड़े का रास्ता बंद हो जायेगा। इससे जान माल का नुकसान होगा। उक्त प्रार्थना पत्र पर कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर है। तहसीलदार द्वारा निर्देशित करने पर दिनांक 26.05.1993 को पटवारी द्वारा विवादित खसरा नम्बर का मौका देखा गया। इसके अनुसार आवंटित रकबे की तरमीम वाले क्षेत्र में आवंटी का कब्जा नहीं है और खसरा नम्बर 789 चाह का रास्ता व खसरा नम्बर 791 में बसी आबादी का रास्ता व बद्री ,श्योजी, जगदीश वगैरह के बाड़े बने हुए है। आवंटन निरस्त योग्य है। ग्रामवासीयों के उक्त प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा आवंटी निरस्तीकरण हेतु आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर टोंक न्यायालय में प्रस्तुत करना पाया जाता है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक का अवलोकन किया गया। उनके निर्णय के अनुसार अब आवंटी को खातेदारी अधिकार मिल चुके है। आवंटन तहसीलदार निवाई के अनुसार दिनांक 12.08.59 को होना बताया है। आवंटन पत्रावली नहीं मिलने से यह नही माना जा सकता है कि आवंटन हुआ ही नही हों। ग्रामीणो की मुख्य शिकायत रास्ते बाबत है। जिस हेतु वह सक्षम न्यायालय में उजरदारी प्रस्तुत कर सकते है। यदि कोई कदिमी रास्ता पूर्व में प्रचलित है और उसे आवंटी द्वारा रोक दिया जाता है तो वे रास्ता अपना खुलवा सकते है। आरटी एक्ट की धारा 251ए में अपने खेतो तक पहुंचने के लिए कोई भी व्यक्ति आवंटी को उपखण्ड अधिकारी न्यायालय द्वारा गणना किये गये प्रतिफल को चुकाकर रास्ता दर्ज करा सकते है। ग्रामीणों को आंशका मात्र है। खातेदारी प्राप्त होने के बाद कब्जे बाबत बिन्दु पर विचार करना उचित नही होगा। नये रास्ते को दर्ज करवाने बाबत या पूर्व में चल रहे रास्ते को बंद कर देने से उसे पुनः खुलवाने बाबत प्रावधान कानून में उपलब्ध है। जिसका उपयोग ग्रामीण एवं अपीलांट अपने हित के लिए कर सकते है। मात्र आंशका के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 38/93 अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970 उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार निवाई बनाम रामरख निर्णय दिनांक दिनांक 08.09.1997 यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:21:55 IST
Reason: SelfAttested